झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

2576
01-11-19

संकल्प

विषयः— केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यकम के अंतर्गत 03 –06 वर्ष तक के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) उपलब्ध कराने निमित्त कार्यान्वयन प्रकिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

1. केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यकम के अंतर्गत 03 –06 वर्ष तक के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Coo k Meal) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस हेतु व्ययभार पर केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 हैं।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं पूरक पोषण नियमावली, 2017 तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति लाभुक निर्धारित दर के आलोक में वर्त्तमान में राज्य अन्तर्गत 38432 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 03 –06 वर्ष तक के बच्चों को गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के Schedule – II के तहत गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के लाभुकों को सुबह का नाश्ता (Morning Snacks) एवं गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) अन्तर्गत 500 Kcal कैलोरी तथा 12–15 gm प्रोटीन के Nutritional Standards के अनुपालन करने का प्रावधान है।
4. राज्य मंत्रिपरिषद् के दिनांक–25.10.2019 की बैठक की मद संख्या–01 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यकम के अंतर्गत 03–06 वर्ष तक के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) उपलब्ध कराने निमित्त निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है –

   क. पूरक पोषाहार कार्यकम अन्तर्गत 03–06 वर्ष तक के प्रत्येक लाभुक बच्चे हेतु प्रतिदिन के लिये निर्धारित खाद्य–सामग्री को एक Meal (one meal) के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसके अधीन एक मील (One Meal) का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

   i. <u>सुबह का नाश्ता</u> (Morning Snacks)– Sooji based Mithi Halwa (6 दिन के लिए) का स्वरूप एवं विवरण–

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन (ग्राम में)	पोषक तत्वों की मात्रा		प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत (Rs.)
		Protein (ग्राम)	Total Kcal	
सूजी	15.00	1.56	52.20	0.93
चीनी	7.00	0.01	27.86	0.29
घी	3.00	0.00	27.00	1.35
कुल	**25.00**	**1.57**	**107.06**	**2.57**

ii. सुबह के नाश्ते एवं गर्म ताजा पोषाहार के मध्यावधि (In Between) में नाश्ता– मूंगफली दाना (भुना) एवं गुड़ (ईख) (6 दिन के लिए) का स्वरूप एवं विवरण–

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन (ग्राम में)	पोषक तत्वों की मात्रा		प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत (Rs.)
		Protein (ग्राम)	Total Kcal	
मूंगफली दाना (भुना)	5.00	2.53	56.65	0.98
गुड़ (ईख)	10.00	0.02	19.13	0.21
कुल	**15.00**	**2.55**	**75.78**	**1.19**

iii. मध्याह्न भोजन– चावल, दाल, आलू, हरी पत्तीदार सब्जी (6 दिन के लिए) का स्वरूप एवं विवरण–

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन (ग्राम में)	पोषक तत्वों की मात्रा		प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत (Rs.)
		Protein (ग्राम)	Total Kcal	
चावल	80.00	6.00	276.64	0.24
दाल (अरहर)	25.00	5.58	83.73	2.00
आलू	40.00	0.64	39.08	0.60
हरी सब्जी	-	-	-	0.50
खाद्य तेल	4.00	0.00	36.00	0.40
मशाला एवं नमक	-	-	-	0.25
कुल	**149.00**	**12.22**	**435.45**	**3.99**

ख. समेकित बाल विकास सेवाएँ योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–CD-I-11/2/2016–CD.I, दिनांक–06.10.2017 के कम में विभागीय संकल्प सं0–554, दिनांक–21.02.2018 द्वारा गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के अंतर्गत प्रति लाभुक प्रतिदिन के लिये रू0–8.00 राशि निर्धारित है, जिसमें सभी खाद्य पदार्थों के कय शुल्क एवं उक्त के ढुलाई शुल्क तथा खाना पकाने हेतु व्यय (ईंधन शुल्क सहित) इत्यादि सभी प्रकार का व्यय सन्निहित होगा।

ग. गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के प्रति मील (Meal) के चावल हेतु भारत सरकार द्वारा विभाग को आवंटित खाद्यान्न (चावल) के उठाव के विरूद्ध निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा भारतीय खाद्य निगम (FCI) को भुगतान किया जायेगा। इस हेतु कंडिका–04 (क) में उल्लिखित एक मील (One Meal) के लिए आवश्यक चावल की मात्रा कुल 80gm के लिए निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा अधिकतम रू0–0.24 मात्र का भुगतान किया जायेगा।

घ. गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) हेतु भारत सरकार द्वारा विभाग को आवंटित खाद्यान्न (चावल) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम से प्राप्त कर सीधे बाल विकास परियोजना कार्यालय को पहूँचाया जायेगा जिसके लिए ढुलाई शुल्क झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वास्तविक Raised Bills के आधार पर जो कि अधिकतम

रू0–0.06 मात्र प्रति मील (Per Meal) अर्थात रू0–75.00 प्रति क्विंटल होगा, का भुगतान संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को किया जायेगा।

च. आँगनबाड़ी सेविका द्वारा उपर्युक्त कंडिका–04 (क) में उल्लिखित Recipe के आधार पर सभी अवयवों सहित प्रति मील (Meal) अधिकतम रू0–7.70 मात्र का व्यय किया जायेगा जिसमें खाद्य सामग्रियों के कय, संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से अपने आँगनबाड़ी केन्द्र तक खाद्यान्न (चावल) के ढुलाई निमित्त प्रति मील (Per Meal) अधिकतम रू0–0.06 ढुलाई शुल्क, प्रति मील (Per Meal) अधिकतम रू0–0.13 Cooking शुल्क एवं अन्य सभी व्यय सन्निहित होगा।

छ. आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् 03–06 वर्ष तक के बच्चों को गर्म ताजा पोषाहार (HCM) उपलब्ध कराने निमित्त व्यय विवरणी समेकित रूप से निम्नवत् होगी :–

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति मील (Per Meal) (ग्राम में)	प्रति मील (Per Meal) औसत लागत (Rs.) (अधिकतम)
खाद्य सामग्री के कय, खाद्यान्न (चावल) ढुलाई एवं Cooking शुल्क इत्यादि पर आँगनबाड़ी सेविका द्वारा प्रति मील (Per Meal) किया जाने वाला व्यय :–		
सूजी	15.00	0.93
चीनी	7.00	0.29
घी	3.00	1.35
मूंगफली दाना (भुना)	5.00	0.98
गुड़ (ईख)	10.00	0.21
दाल (अरहर)	25.00	2.00
आलू	40.00	0.60
हरी सब्जी	-	0.50
खाद्य तेल	4.00	0.40
मशाला एवं नमक	-	0.25
खाद्य सामग्री के कय पर व्यय	**109.00**	**7.51**
खाद्यान्न (चावल) ढुलाई पर व्यय	-	0.06
खाना पकाने इत्यादि हेतु व्यय	-	0.13
योग	**109.00**	**7.70**
खाद्यान्न (चावल) के आपूर्ति के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम को निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा प्रति मील (Per Meal) किया जाने वाला भुगतान :–		
चावल	80.00	0.24
खाद्यान्न (चावल) ढुलाई शुल्क के रूप में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रति मील (Per Meal) किया जाने वाला भुगतान :–		
चावल	-	0.06
कुल योग	**189.00**	**8.00**

ज. आँगनबाड़ी सेविका द्वारा उनके आँगनबाड़ी केन्द्र में गर्म ताजा पोषाहार (HCM) के उपर्युक्त कंडिका–04 (क) में उल्लिखित Recipe के आधार पर 03–06 वर्ष के बच्चों के बीच वितरीत किये गये पोषाहार का व्यय विपत्र अवयव वार एवं मात्रा वार प्रतिदिन निर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार किया जायेगा, जिसे संकलित करते हुए सेविका द्वारा माहवार संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा। आँगनबाड़ी सेविका द्वारा तैयार मासिक व्यय विपत्र संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा।

आँगनबाड़ी सेविका एवं आँगनबाड़ी सहायिका का संयुक्त बैंक खाता खोला जायेगा। आँगनबाड़ी सेविका का उनके उक्त मासिक व्यय विपत्र के आधार पर ही संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिसकी राशि का हस्तांतरण उक्त बैंक खाते में किया जायेगा ।

झ. आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 – 06 वर्ष के बच्चों के बीच कंडिका – 04 (क) में उल्लिखित गर्म ताजा पोषाहार (HCM) के Recipe के अवयवों में से यदि किसी अवयव की आपूर्ति नहीं की जाती है तो आँगनबाड़ी सेविका द्वारा कंडिका –04 (ज) में वर्णित विपत्र के निर्दिष्ट प्रपत्र में उस अवयव की मात्रा एवं मूल्य सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

ट. आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपर्युक्त कंडिका – 04 (क) के गर्म ताजा पोषाहार (HCM) के Recipe का 03–06 वर्ष के बच्चों के बीच वितरण के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए निम्नांकित स्वरूप वाली एक आँगनबाड़ी अनुश्रवण समिति (Aanganwadi Monitoring Committee) का गठन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) द्वारा किया जायेगा :

1. वार्ड सदस्य	:	अध्यक्ष
2. आँगनबाड़ी सेविका (01)	:	सदस्य–सचिव
3. 03–06 वर्ष के बच्चों की मातायें (02) – अध्यक्ष द्वारा नामित	:	सदस्य (02)
4. गर्भवती महिलायें (02)– अध्यक्ष द्वारा नामित	:	सदस्य (02)
5. धात्री माताये (02)– अध्यक्ष द्वारा नामित	:	सदस्य (02)

आँगनबाड़ी सेविका उक्त अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक माह एक बार निश्चित रूप से आयोजित करायेंगी एवं सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संबंधित पंजी में संधारित करेंगी। आँगनबाड़ी सेविका का दायित्व होगा कि बैठक में विगत एक माह में गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) का लाभुकों में वितरण पर हुए संकलित व्यय के संबंध में मासिक प्रतिवेदन को अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ उपस्थापित करें।

ठ. प्रत्येक जिले में उपायुक्त द्वारा भी प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के कंडिका –04 (क) में उल्लिखित मील (Meal) के वितरण का सतत् अनुश्रवण करवाया जायेगा।

ड. पूरक पोषाहार कार्यकम के तहत् गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के कंडिका –04 (क) में उल्लिखित मील (Meal) का आँगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को वितरण का निरीक्षण अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा निरंतर किया जायेगा जिसके लिए निम्नवत् निदेश होंगे :–

i. महिला पर्यवेक्षिका प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण सुनिश्चित करेंगी तथा गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के वितरण, बच्चों के संख्या संबंधी लेखा मिलान तथा कंडिका –04 (ज) में उल्लिखित प्रतिदिन तैयार किये जाने वाले व्यय विपत्र को सत्यापित करेंगी। जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विस्तृत प्रतिवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगी।

ii. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों का प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण सुनिश्चित करेंगी एवं आँगनबाड़ी सेविका द्वारा संधारित किये जा रहे लेखा पंजी एवं कंडिका –04 (ज) में प्रतिदिन तैयार किये जा रहे व्यय विपत्रों की जाँच करेंगी। जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विस्तृत प्रतिवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगी।

iii. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों का समय–समय पर औचक निरीक्षण करेंगी एवं गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) का लाभूकों में वितरण सूचारू रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं की जाँच करेंगी। जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी विस्तृत प्रतिवेदन जिले के उपायुक्त को प्रतिवेदित करेंगी।

iv. किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर दोषी कर्मियों को चिन्हित कर जवाबदेही निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

5. यह दिनांक–01.01.2020 की तिथि से प्रभावी होगा।

6. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/आदेश/परिपत्र संकल्प के प्रभावी होने की तिथि से विलोपित समझे जायेंगे।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को भेजी जाये।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

1/11/2019

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – स0क0–यो0–278/2012– 2576 रॉंची, दिनांक :– 01-11-19

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, रॉंची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – स0क0–यो0–278/2012– 2576 रॉंची, दिनांक :– 01-11-19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, रॉंची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, महिल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।